प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.06.2026

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 42 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 25.06.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा **"ऑपरेशन प्रहार"** के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त विकास पुत्र राजेन्द्र निवासी सौन्दा रोड देवनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना क्षेत्र मोदीनगर से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 किलो 42 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मोदीनगर पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे मेरठ से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर आसपास के क्षेत्रों में अधिक दामों पर बेच देता हूँ तथा इन पैसों से अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

विकास पुत्र राजेन्द्र निवासी सौन्दा रोड देवनगर थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 किलो 42 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, पूर्व में भी अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर आबकारी अधिनियम का 01 अभियोग, एनडीपीएस अधिनियम के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। **(कुल अभियोग- 05)**। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के वाँछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त गाजियाबाद द्वारा गैंगस्टर के अभियोगों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना, लोकल इनपुट के आधार पर अभियोग अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1.फुरकान को कबाडी की दुकान ममनधाम के पास मेरठ रोड से तथा 2. धर्मेन्द्र को मारूति सुजुकी सर्विस सेन्टर के सामने लोहिया नगर से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः

1.फुरकान पुत्र रहमान नि0 ग्राम मोरटा ममन धाम के पास थाना मधुबनबापूधाम गा0बाद ,स्थायी पता- मल्लुपुरा थाना सिविल लाइन जिला मुजफ्फरनगर

2. धर्मेन्द्र पुत्र भरत सिंह निवासी निकट गुलधर प्राइमरी स्कूल के पास सै0- 23 संजय नगर थाना मधुवन बापूधाम गाजियाबाद

<u>बरामदगी का विवरण:</u>

1. एक अदद मोबाईल फोन एन्ड्राएड सैमसंग नीला रंग अभियुक्त फुरकान से बरामद
2. एक कबाडी की दुकान की चाबी बरामद हुयी अभियुक्त फुरकान से बरामद

<u>आपराधिक इतिहास</u>

1.अभियुक्त फुरकान उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानीगेट व थाना नन्दग्राम पर वाहन चोरी के 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

2. अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध थाना सिहानीगेट व थाना नन्दग्राम पर वाहन चोरी के 01-01 अभियोग पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

थाना सिहानी गेट पुलिस

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 2500/- रुपये के नकली नोट व 04 मोबाइल बरामद।

दिनांक 26.05.2026 को वादिया द्वारा थाना ट्रोनिका सिटी पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्ता पूजा द्वारा वादिया की बच्ची को बिना बताये घर से ले जाकर अभियुक्त मोनू उर्फ मनोज नाम के व्यक्ति को दे देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर अभियोग पंजीकृत कर नवजात शिशु की सकुशल बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज, सुरागरसी-पतारसी, सर्विलांस के आधार पर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अपहृता नवजात शिशु (उम्र 11 दिन) को सकुशल बरामद किया गया तथा 13 अभियुक्तों/ अभियुक्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं उपरोक्त अभियोग में अन्य वांछित अभियुक्तगण की तलाश हेतु टीमें लगाई गई।

आज दिनांक 26.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1. तरन्नुम पत्नी कासिम निवासी जैतपुर खड्डा कालोनी थाना जैतपुर बदरपुर दिल्ली 2. करुणा पत्नी रमेश निवासी घाटा गांव सैक्टर 55/56 थाना कन्हैया जिला गुरुग्राम स्थायी निवासी ग्राम डेउआपुर थाना मितौली जिला लखीमपुर खीरी (उ0प्र0) 3. अनिल लकडा पुत्र फ्रांसिस लकडा निवासी थाना उत्तम नगर दिल्ली को थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 2500/- रुपये नकली नोट व 04 मोबाइल बरामद हुए। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण अनिल व करुणा ने बताया कि हम दोनों, तरन्नुम तथा प्रदीप जो पूरनिया बिहार का रहने वाला है के माध्यम से ही इस गिरोह से जुडे हैं तथा तरन्नुम व प्रदीप के साथ ही नवजात बच्चों को सप्लाई करने का काम करते हैं। अभियुक्तगण से बरामद नकली नोट व फोटोग्राफ के बारे में पूछा तो अभियुक्तगण ने बताया कि ये जो 2500/- रूपये के नकली नोट मिले हैं। हम लोग इन नकली नोटों का प्रयोग नवजात शिशु खरीदने के लिये करते हैं। हमारा पूरा नेटवर्क है जो नवजात शिशु को खरीदने व बेचने का कार्य करता है। इसमें हमें अच्छा कमीशन मिल जाता है। हम लोग एक दूसरे से ज्यातर व्हाट्सएप से ही बात करते हैं जिन माता पिता के बच्चा होने वाला होता है उनके बारे में हम अपने नेटवर्क के माध्यम से पता करते हैं। हम उनसे संपर्क बनाकर उनको पैसों का लालच देते हैं तथा अपने ग्रुप के लोगों से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना शेयर कर देते हैं जब एक टास्क पूरा हो जाता है तो हम व्हाट्सएप की फोटो व चैट डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो हम थोडे बहुत असली नोटों में नकली नोट मिला कर अपहृत शिशु के माँ बाप को दे देते हैं तथा जब तक इन नोटों के बारे में उनको पता चलता है तब तक हम बच्चा लेकर भाग जाते हैं क्योंकि शिशु के माँ बाप को पैसे देकर बच्चा खरीदते हैं। इसके डर से कोई भी हमारी शिकायत नहीं करता है। हमारे साथियों द्वारा दिनांक 23.05.2026 को पूजा कॉलोनी से 11 दिन की बच्ची का अपहरण करके उसे बेचने के लिये नदीम, आरती व तरन्नुम देने आने वाले थे। इस बच्ची को हम लोग राजू व दीप्ति को आन्ध्र प्रदेश में ले जाकर बेच देते। परंतु दिनांक 02.06.2026 को पुलिस द्वारा हमारे साथियों को उस नवजात बच्ची के साथ पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–

1. तरन्नुम पत्नी कासिम निवासी जैतपुर खड्डा कालोनी थाना जैतपुर बदरपुर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।
2. करुणा पत्नी रमेश निवासी घाटा गांव सैक्टर 55/56 थाना कन्हैया जिला गुरुग्राम स्थायी निवासी ग्राम डेउआपुर थाना मितौली जिला लखीमपुर खीरी (उ0प्र0) उम्र करीब 49 वर्ष।
3. अनिल लकडा पुत्र फ्रांसिस लकडा निवासी थाना उत्तम नगर दिल्ली उम्र करीब 33 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 2500/- रुपये के नकली नोट व 04 मोबाइल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।